वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 20.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स, जनसंदेश टाइम्स, परफेक्ट मिशन," समाचार पत्र कटिंग का विवरण ।

दैनिक जागरण–दि0 20.07.2024

गुम हो रही असि नदी को मिलेगी धारा, अब ड्रोन सर्वे की तैयारी

आइआइटी बीएचयू के अनुरोध पर वीडीए सचिव ने सर्वे की मांगी अनुमति

जागरण संवाददाता, वाराणसी : कब्जे की चपेट में फंसी व प्रदूषित नाले के रूप में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही असि नदी को पुनर्जीवित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस नदी को ड्रोन से सर्वे कराने के लिए आइआइटी बीएचयू के अनुरोध पर विकास प्राधिकरण के सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा ने पत्र भेज कर जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। यह अनुमति 29 सितंबर तक के लिए मांगी गई है। इस दौरान नदी क्षेत्र का ड्रोन सर्वे, फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी होगी।

जल संरक्षण

असि नदी की महत्ता एवं पर्यावरण की संरचनां तथा जल संरक्षण के दृष्टिगत विकास प्राधिकरण एवं आइआइटी बीएचयू की ओर से पुनरोद्धार के लिए संयुक्त प्रयास हो रहा है। ड्राइंग, डिजाइन एवं डीपीआर तैयार किए जाने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं आइआइटी बीएचयू मध्य एमओयू भी हो चुका है। विकास प्राधिकरण ने आइआइटी बीएचयू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग से अध्ययन रिपोर्ट मांगी है। इसमें खासतौर पर नदी को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, इसकी तकनीकी उपाय बताने को कहा है। इसमें ड्राइंग, डिजाइन, डीपीआर आदि देने को कहा गया है। दूसरी तरफ बीएचयू शोधार्थियों ने असि घाट से कर्मदेश्वर मंदिर से आगे तक नदी पाथ का सर्वे पूरा कर लिया है।

इस नदी को नवजीवन देने के लिए पहले अतिक्रमण को हटाकर नदी क्षेत्र की वास्तविक जमीन चिह्नित करना है। इसके बाद नदी की तीन मीटर से अधिक गहरी गाद को हटाने के ज्ञानपुर गंगा कैनाल से 50 एमएलडी पानी नदी में पहुंचाने की बात है। नदी तक पहुंचने वाले जलस्रोत खोलने, ड्रेजिंग कराने और रमना, भगवानपुर एसटीपी के शोधित जल को भी इस नदी में गिराने की भी योजना है।

- डीपीआर के लिए प्राधिकरण व आइआइटी के बीच पहले ही हो चुका है एमओयू
- अतिक्रमण व गाद हटाने के बाद ज्ञानपुर गंगा कैनाल से 50 एमएलडी पानी पहुंचाएंगे

कब्जा हटाना बड़ी चुनौती

असि नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे बड़ी बाधा इस नदी से कब्जा हटाना है। नदी क्षेत्र का अधिकांश भूभाग अतिक्रमण की चपेट में है। कुछ स्थानों पर तो नाले के ऊपर ही मकान बन चुके हैं। कब्जा हटाने के लिए कई बार प्रयास हुए लेकिन जमीन पर कुछ भी खास नहीं दिखा। हालांकि इस बार सरकार गंभीर है और प्रशासनिक तैयारी ने भी प्लानिंग की है। परिणाम क्या होगा, यह आगे दिखेगा।

200 फीट चौड़ी नदी अब आठ फीट में सिमटी

असि नदी का उद्गम स्थल कंदवा है। नदी चितईपुर, करौंदी, करमजीतपुर, नेवादा, सरायनंदन, नरिया, साकेत नगर नगवां से गुजरते हुए अस्सी घाट पर गंगा में मिलती है। नदी की कुल आठ किलोमीटर लंबाई है। एक समय उद्गम स्थल से गंगा संगम तक नदी की चौड़ाई लगभग 200 फीट थी। वर्तमान में कंदवा उदगम स्थल पर नदी का व्यास 30 फीट है। लेकिन सरकारी मशीनरी की अनदेखी के चलते नदी के दोनों छोर पर अवैध निर्माणों की श्रृंखला बन गई है। अवैध निर्माणों में मकान ही नहीं, स्कूल, शापिंग काम्प्लेक्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी है। इसी वजह से अब 200 फीट चौड़ी असि नदी अब आठ फीट नाले में तब्दील हो चुकी है।

अमर उजाला–दि0 20.07.2024

निर्माण कार्यों की होगी डिजिटल मैपिंग

वाराणसी। वीडीए किराये के सैटेलाइट से समय-समय पर शहर के निर्माण कार्यों की डिजिटल मैपिंग कराएगा। जिन भवनों/संस्थानों ने इस अंतराल में किसी तल का निर्माण कराया होगा तो उनके नक्शे की जांच की जाएगी। अगर किसी भू-स्वामी ने उस निर्माण के लिए नक्शा नहीं पास कराया होगा तो उसे अवैध मानकर कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों ट्रायल के तौर पर बाबतपुर रोड, रिंग रोड और वाराणसी के मुख्य मार्गों पर अवैध निर्माण के संबंध में फर्म ने सैटेलाइट सर्वे की रिपोर्ट दी। वीडिए ने मौका मुआयना कर जांच की तो 196 नव निर्माण अवैध निकले। इस प्रक्रिया से वीडिए को कर्मचारियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि शहर में बढ़ते अवैध निर्माणों को रोकने के लिए डिजिटल मैपिंग का सहारा लिया जाएगा। इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसका डाटा भी तैयार किया जाएगा। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 20.07.2024

32 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए ने शुक्रवार को चार जगहों पर 32 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। साथ ही एफआईआर के लिए थानों में तहरीर दी। एक अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार सारनाथ वार्ड के चौबेपुर गंज चौखंडी स्तूप के सामने बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए लालचंद्र यादव 15 बीघे में अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे। अज्ञात की ओर से संदहा रिंग रोड पर 6 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। पुलिस बल के सहयोग से इसे ध्वस्त कर विकासकर्ता के खिलाफ एफआईआर के लिए चौबेपुर थाने में तहरीर दी गई। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 20.07.2024

मनोशाला पार्ट थ्री में हुई स्वास्थ्य की जांच

वाराणसी। वीडीए सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य लगाया गया। इसका नाम मनोशाला पार्ट थ्री रखा गया है। 102 कर्मचारियों के ब्लड सैंपल लिए गए। 30 की ईसीजी की गई। ब्यूरो

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 20.07.2024

१७ बीघा, १५ बिस्वा प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वार्ड सारनाथ मौजा गंज चौखण्डी स्तूभ के सामने बिना मानचित्र स्वीकृत कराये १५ बिस्वा जमीन पर प्लाटिंग करायी जा रही थी। इसी प्रकार चौबेपुर मौजा संदहा में छह बीघा जमीन पर प्लाटिंग की जा रही थी। जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय अवर अभियंता ने मौका मौआयना किया और प्लाटिंग किये जानकी पुष्टि हुई। मौके पर शुक्रवार को जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता जयप्रकाश गुप्ता, प्रवर्तनदल के सुपरवाइजर और क्षेत्रीय पुलिस के सहयोग से जेसीबी के माध्यम से भूमि के अन्दर किये गये निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया। इसी तरह शिवपुर वार्ड मौजा अजयपुर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये एक कास्तकार छह बीघा जमीन पर प्लाटिंग कर रहा था। मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियंता देवचन्द्र राम और अमृत शर्मा सहित प्रवर्तनदल और सुपरवाइजर तथा क्षेत्रीय पुलिस के सहयोग से जमीन पर किये जा रहे अवैध प्लाटिंग को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त करा दिया गया। वार्ड रामनगर मौजा मुजफ्फरपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये पांच बीघा जमीन पर प्लाटिंग की जा रही थी। इसकी सूचना विभाग में मिलने के बाद जोनल अधिकारी श्रीप्रकार कुमार, अवर अभियंता पीएन दुबे, प्रवर्तनदल, सुपरवाइजर और स्थनीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जेसीबी के माध्यम से जमीन पर किये गये प्लाटिंग और निर्माण कार्य को ध्वस्त करा दिया गया। उल्लेनीय है कि वाराणसी नगर निगम और वीडिए सीमा के भीतर भारी मात्रा में अवैध प्लाटिंग करने की सूचना विप्रा अभियंताओं को बतायी गयी। हालांकि अवैध निर्माण और प्लाटिंग में उस समय तेजी आयी जब विप्रा उपाध्यक्ष और सचिव विभिन्न स्थानों पर व्यक्तिगत तौर पर पहुंचकर मौका मौवायना किया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 20.07.2024

अदलहाट में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने शुक्रवार अदलहाट (मिर्जापुर) क्षेत्र के मुजफ्फरपुर में 5 बीघा की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करवाई। साथ ही कॉलोनाइजर के खिलाफ अदलहाट थाने में तहरीर दी गई। रसूलागंज, टेंगरा मोड़, नारायनपुर में मानचित्र स्वीकृत नहीं होने पर अवैध निर्माण सील किया गया। 24 मई 2024 को नोटिस भेजने के बाद भी अवैध निर्माण जारी था।

हिन्दुस्तान–दि0 20.07.2024

वीडीए कर्मियों को दिए स्वस्थ रहने के टिप्स

वाराणसी। वीडीए मुख्यालय में शुक्रवार को अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य, खान-पान के संबंध में चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। मनोशाला नामक कार्यशाला में पोषण विशेषज्ञ डॉ. सौम्या हजेला ने जानकारी दी। प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी का स्वास्थ्य परीक्षण कर डाइट चार्ट भी दिया गया। इस दौरान अधिष्ठान अधीक्षक अवधेश पांडेय आदि रहे।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 20.07.2024

वीडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से कॉलोनाइजरों में मचा हड़कम्प

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने सारनाथ वार्ड के थाना-चौबेपुर मौजा-गंज चौखण्डी स्तूप के सामने थाना सारनाथ में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लालचंद्र यादव की तरफ से लगभग 15 बिस्वा तथा अज्ञात द्वारा मौजा-संदहा, रिंग रोड थाना-चौबेपुर के अंतर्गत लगभग छह बीघा बीघा पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी, उक्त अनाधिकृत प्लाटिंग के विरुद्ध प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी एवं विकासकर्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाना-चौबेपुर, वाराणसी को तहरीर भी दी गयी है।

वहीं दूसरी तरफ वीडीए की प्रवर्तन टीम ने शिवपुर मौजा-अजयपुर के पास बिना मानचित्र स्वीकृत कराये दिलीप कुमार की तरफ से लगभग छह बीघा पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी, उक्त अनाधिकृत प्लाटिंग के विरुद्ध प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। वहीं विकासकर्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी गयी है।

इसी प्रकार रामनगर वार्ड के अंतर्गत बब्लू चौरसिया, मौजा रसूलागंज, टेंगरा मोड़ से नारायनपुर रोड थाना-अदलहाट, वार्ड-रामनगर में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर नोटिस की कार्यवाही की गई थी, सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने के लिए पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। लेकिन मानचित्र स्वीकृत नहीं होने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा की निगरानी के लिए सौंप दिया गया।

रामनगर वार्ड थाना-अदलहाट मौजा-मुजफ्फरपुर के पास बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग पांच बीघा पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, उक्त अनाधिकृत प्लाटिंग के खिलाफ प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी एवं विकासकर्ता के मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 20.07.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-सारनाथ थाना-चौबेपुर मौजा-गंज चौखण्डी स्तूप के सामने, थाना-सारनाथ के पास बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लालचन्द्र यादव द्वारा लगभग 15 बिस्वा तथा अज्ञात द्वारा मौजा-सन्दहा, रिंग रोड थाना-चौबेपुर के अन्तर्गत लगभग 6 बीघा पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी, उक्त अनाधिकृत प्लोटिंग के विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-14 व 15 का खुला उल्लंघन किये जाने के कारण आज दिनांक 19 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी एवं विकासकर्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थाना-चौबेपुर, वाराणसी को तहरीर भी प्रेषित कर दी गयी है। मौके पर जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार, अवर अभियन्ता श्री जय प्रकाश गुप्ता एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। इसी क्रम में वार्ड-शिवपुर थाना-शिवपुर मौजा-अजयपुर के पास बिना मानचित्र स्वीकृत कराये दीलिप कुमार द्वारा लगभग 06 बीघा पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी, उक्त अनाधिकृत प्लोटिंग के विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-14 व 15 का खुला उल्लंघन किये जाने के कारण आज दिनांक 19 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी एवं विकासकर्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थाना-शिवपुर, वाराणसी को तहरीर भी प्रेषित कर दी गयी है। मौके पर जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियन्ता श्री देवचन्द्र राम, अम्बरीश शर्मा एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 20.07.2024

वीडीए अपने कर्मियों के लिए लगाएगा हेल्थ संबंधी कार्यशाला

वाराणसी। वीडीए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अनोखी पहल की है। इसको लेकर विभाग ने विभागीय कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने, मनोवैज्ञानिक लाभ के गुण बताने और खान - पान का व्यवस्थित ढंग से उपभोग करने की सलाह देने के लिए मंगलवार को दो दिवसीय मनोशाला पार्ट-3 का आयोजन किया वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वीडीए सभागार में आयोजित कार्यशाला में पिछले दिनो मनोशाला में कार्मिकों का निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण किया गया था। जिसमें लोगो का ब्लड टेस्ट , ब्लड प्रेशर चेक और ई.सी.जी. कराया गया था। इस दौरान 102 कार्मिकों का ब्लड सैंपल लिया गया था और 30 कार्मिकों का ई.सी.जी. टेस्ट किया गया था। जिसका रिपोर्ट मंगलवार को डॉ सौम्या हजेला (मनोशाला न्यूट्रीशन एक्सपर्ट) ने जहां मनोशाला में प्रस्तुत किया। इस दौरान प्रत्येक कर्मियों से 15 मीनट वार्ता कर उनके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया ,वहीं प्रत्येक कार्मिक को उनके रिपोर्ट और हाईट वेट के अनुसार डाइट चार्ट भी दिया गया। जिससे वह अपने खान पान का विशेष ध्यान रख सके और प्राधिकरण के जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर पाये। इस अवसर पर मनोशाला फाउंडर क्रतिका अग्रवाल,अधिष्ठान अधीक्षक अवधेश पांडेय आदि लोग उपस्थित रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन–दि0 20.07.2024

वीडीए कार्मिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोशाला का हुआ आयोजन

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार प्राधिकरण सभागार में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की स्वस्थता, मनोवैज्ञानिक लाभ, खान-पान का व्यवस्थित उपभोग हेतु दो दिवसीय कार्यशाला का 19 जुलाई को दोपहर 2.00 बजे से मनोशाला पार्ट-3 का आयोजन किया गया।

जिसमें पिछली मनोशाला में कार्मिकों का नि:शुल्क चिकित्सा परीक्षण यथा ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर, ई0सी0जी0 इत्यादि कराया गया था उपरोक्त परीक्षण में 102 कार्मिकों का ब्लड सैंपल लिया गया था तथा 30 कार्मिकों का ई0सी0जी0 टेस्ट किया गया था, जिसका रिपोर्ट डॉ सौम्या हजेला (मनोशाला न्यूट्रीशन एक्सपर्ट) द्वारा मनोशाला में प्रस्तुत किया गया, तथा प्रत्येक कार्मिक से 15 मीनट की वार्ता कर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्मिक को उनके रिपोर्ट, हाईट, वेट के अनुसार डाइट चार्ट भी दिया गया, जिससे वह अपने खान पान का विशेष ध्यान रख सके और प्राधिकरण के जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर पायें। आयोजित मनोशाला में मनोशाला फाउंडर कृतिका अग्रवाल, अधिष्ठान अधीक्षक अवधेश पांडेय आदि लोग उपस्थित रहे।